

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग,  
मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 162 /सी-9801/वित्त/नियम/चार/2007, रायपुर, दिनांक 06.06.2007  
प्रति,

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
छत्तीसगढ़ ।

**विषय:** -महिला शासकीय सेवकों को एक वर्ष तक की उम्र का बच्चा गोद लेने पर 'दत्तक ग्रहण अवकाश' की स्वीकृति ।

राज्य शासन द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की अनुशंसाओं को दृष्टिगत रखते हुए महिला शासकीय सेवकों को जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं, एक वर्ष की आयु तक का बच्चा गोद लेने हेतु मातृत्व अवकाश के समान अधिकतम 90 दिन का 'दत्तक ग्रहण अवकाश' स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है, परन्तु उक्त अवकाश बच्चे के एक वर्ष की आयु प्राप्त होने की तिथि से आगे की अवधि हेतु स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।

2. दत्तक ग्रहण अवकाश की अवधि में दत्तकग्राही महिला शासकीय सेवक को अवकाश में प्रस्थान करने के ठीक पूर्व प्राप्त होने वाले वेतन के समान अवकाश वेतन की पात्रता होगी ।

3. 'दत्तक ग्रहण अवकाश' किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकेगा ।

4. 'दत्तक ग्रहण अवकाश' की निरंतरता में दत्तकग्राही माता को, उसके आवेदन पर दत्तक बच्चे की एक वर्ष की आयु प्राप्त होने की तिथि की सीमा के अधीन, दत्तक ग्रहण अवकाश को शामिल करते हुए अधिकतम एक वर्ष तक अन्य प्रकार के अवकाश जो देय तथा ग्राह्य हो (बिना चिकित्सा प्रमाणपत्र के 60 दिन से अनधिक अदेय अवकाश तथा लघुकृत अवकाश सहित) भी स्वीकृत किया जा सकता है ।

5. दत्तक ग्रहण अवकाश की पात्रता ऐसे दत्तकग्राही माता को नहीं होगी जिसके दत्तक लेते समय दो या दो से अधिक जीवित बच्चे हों।
6. ‘दत्तक ग्रहण अवकाश’ को अवकाश लेखे में विकलित नहीं किया जाएगा।
7. अवकाश नियमों में समुचित संशोधन अलग से किया जा रहा है।
8. ‘दत्तक ग्रहण अवकाश’ की पात्रता ज्ञापन जारी होने की तिथि या इसके पश्चात गोद लेने के प्रकरणों में होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(एस.के.चक्रवर्ती)


उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां क्रमांक 163 / सी—9801 / वित्त / नियम / चार / 07, रायपुर, दिनांक 06.06.2007  
iffyfi %

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
22. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
23. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
24. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
25. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
26. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
27. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
28. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
29. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
30. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर
31. समस्त सचिव / विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
32. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
33. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
34. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर / बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
35. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
36. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
37. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
38. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
39. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(अमिताभ शर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग